



पत्रांक : कु0स0-2 B स0स0/14714/02-2015/2019

दिनांक : 07 जनवरी, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
लोकनाथ महाविद्यालय,
समगाड़
चन्दौली।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनामार्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एच0 विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 03.05.2018 के संदर्भ में सूच्य है कि संदर्भित अभ्यर्थी के उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सम्बन्धनापरांत कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 08 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 08 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5689/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-16(409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 शासनादेश संख्या-969/सत्तर-2-2013-18(90)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1010/70-3-2015-बी0एच0 (06)/2014 दिनांक 15 जून, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनामार्गत शिक्षा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्ष के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्बुद्धांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद	आधार सं०
1.	डॉ० राजेश कुमार पाठक	श्री कलाश पाठक	01.03.72	पी0एच0डी0	विभागाध्यक्ष बी0एच0	568238865290

अतः उपरोक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित विभागाध्यक्ष को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करावें। इसके साथ ही वह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कुलपति, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, गंगाकाशी विद्यापीठ, वाराणसी।

10.	डीडी प्रयाग	डीडी प्रयाग	27.04.85	प्रस्ताव समाजशास्त्र (P.G.)	18.07.2018	19.07.2018	430547006
11.	डीडी चरैया कुमार हार्न	डीडी चरैया कुमार हार्न	04.02.71	प्रस्ताव समाजशास्त्र (P.G.)	18.07.2018	19.07.2018	724637471

उपरोक्त प्रस्ताव को उनके लिए देय जयवादी महिला शिक्षा (कम्प्यूटरी प्रिजेंटेशन) अधिकांश रूप से जाप किया जाय तथा वेतन सुधारण की कार्यवाही सीधे वेतन के नकल से ही किया जाय सुनिश्चित किया जाय। आवश्यकता को ध्यान में अनुसार ही महाविद्यालय के प्रचारक व विध्याविद्यालय की स्वीकृत से उपरोक्त महिला पुन: नियुक्ति की जा सकती।

सचिव



सचिव

- इतिविधि सुधारण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1. डी.डी. कुमार - सामान्य कल्पना जी का सुधारण।
 2. महिला शिक्षक, भागदखल विद्यापीठ, अराधना।

श्री. राजेश कुमार सिंह	श्री. सारदा सिंह	13.01.79	पैरवाडी	प्रवक्ता समाजवादी	891122213604
श्री. सुरेश कुमार सिंह	श्री. जयश्याम सिंह	01.01.85	पैरवाडी	प्रवक्ता हिन्दी	8411/3673658
श्री. रामेश कुमार	श्री. निताम सिंह	03.06.82	पैरवाडी	प्रवक्ता गृहविभाग	58426408112

जहां उपरोक्त की संसोधना के अलावा वे नियुक्ति पर निर्णय करने से पूर्व सम्बन्धित अगव्यों के मूल वैयक्तिक अभिलेख जारि देखकर विद्युत्त रूप निर्णय करने का कष्ट करें। नियुक्ति पर ही यदि एवं कविता उपर (अपघाती एवं प्रवक्ता के संशोधनार्थक सामग्री के संशोधन करि) की एक प्रति अनुमानित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जावे। प्रवक्ता को एक दिन के समय उपलब्ध करावे। प्रवक्ता को यह भी सूचना है कि नियुक्ति पर एवं अनुभव पर वे अगव्यों को विना संशोधन रतन आदि का कष्ट उपलब्ध हो सिकुकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जावे। अगव्यों के लिए जराबंदी नगिभ विधि (कम्प्यूटरी प्रसिद्धि कर्म) अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तथा वेतन कुमान की अवस्थाही सीधे बैंक में भरणन से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। महाविद्यालय की कार्य के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रवक्ता पर नियंत्रणालय की सीधे से प्रवक्ता भविष्य महीनिकत की जा सिकुकी।

भाषीर

सुरेश कुमार

कुलसचिव

विद्युत्त रूप निर्णय एवं अनुभव पर निर्णय करने से पूर्व सम्बन्धित अगव्यों के मूल वैयक्तिक अभिलेख जारि देखकर विद्युत्त रूप निर्णय करने का कष्ट करें। नियुक्ति पर ही यदि एवं कविता उपर (अपघाती एवं प्रवक्ता के संशोधनार्थक सामग्री के संशोधन करि) की एक प्रति अनुमानित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जावे। प्रवक्ता को एक दिन के समय उपलब्ध करावे। प्रवक्ता को यह भी सूचना है कि नियुक्ति पर एवं अनुभव पर वे अगव्यों को विना संशोधन रतन आदि का कष्ट उपलब्ध हो सिकुकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जावे। अगव्यों के लिए जराबंदी नगिभ विधि (कम्प्यूटरी प्रसिद्धि कर्म) अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तथा वेतन कुमान की अवस्थाही सीधे बैंक में भरणन से ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। महाविद्यालय की कार्य के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रवक्ता पर नियंत्रणालय की सीधे से प्रवक्ता भविष्य महीनिकत की जा सिकुकी।

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
लोकनाथ महाविद्यालय रामगढ़,
जनपद चन्दौली।

पत्रांक - बी०टी०सी०/अनु०-२७३२ / १५५८-६१

/2016-17 दिनांक-२७ अप्रैल 2016

विषय :- निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुम
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको पत्रांक डी०एल०एड०/बी०टी०सी०/2016 दिनांक 21.04.2016 के तद्वर्त
एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार प्रबन्धक के शपथ पत्र के प्रति निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्य
के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन
इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्ब
सत्त्वापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त रक्त
जायेगा।

01. श्री राजेश कुमार पाटक
02. श्री सतीश कुमार मौर्य (ओ०बी०सी०)
03. श्री सुनील कुमार जायसवाल (ओ०बी०सी०)
04. श्री पंकज बरनवाल
05. श्री प्रमोद कुमार (एस०सी०)
06. निरंजना वर्मा (ओ०बी०सी०)
07. श्रीमती माण्डवी राय
08. श्री विनय कुमार
09. श्री रविकान्त सिंह
10. श्री इशरार अहमद
11. श्री सूर्यकान्त धीमान (ओ०बी०सी०)
12. श्री ममता सिंह
13. श्री पंकज कुमार (एस०सी०)
14. श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र
15. श्री सुधाकर पाण्डेय
16. श्री अभिषेक कुमार सिंह

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष
प्रवक्ता शिक्षा का परिप्रेक्ष्य
प्रवक्ता शिक्षा का परिप्रेक्ष्य
प्रवक्ता शिक्षा का परिप्रेक्ष्य
प्रवक्ता विज्ञान
प्रवक्ता विज्ञान
प्रवक्ता भाषा
प्रवक्ता भाषा
प्रवक्ता भाषा
प्रवक्ता गणित
प्रवक्ता गणित
प्रवक्ता सा० विज्ञान
प्रवक्ता सा० विज्ञान
प्रवक्ता कला
प्रवक्ता कला
प्रवक्ता शारीरिक

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का
सम्बन्धित संस्था से सत्त्वापन करा कर, सत्त्वापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय


श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।
तददिनांक

/2016-16

पू०सं० शि०सा०/बी०टी०सी०/अनु०-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
01. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी०
बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
 03. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, चन्दौली।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।


Manager
Loknath Mahavidyalaya
Ramgarh, Chandauli



पत्रांक : कु0स0-2 B स0310 / 15266 / 02-290-2016 / 2019

दिनांक : 06 मई, 2019

सेवा में,
प्रबन्धक,
लोकनाथ महाविद्यालय,
रामगढ़, चन्दौली।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत चयनित प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 12.03.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(86)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-16 (409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्राचार्य के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखान्त वितरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद	* आधार सं०
1.	डॉ० प्रेमचन्द्र पाण्डेय	स्व० नकछेद पाण्डेय	08.07.1964	पी.एच.डी.	प्राचार्य	435585676697

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। प्राचार्य के अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना निश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

तल्लिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
यै०स०, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
परीक्षा नियंत्रक, म०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।